

तारीख हुक्म

15/2/22

पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी इफ्त
प्रतिवादी को नल्लव करने के लिए
वकीलवादी को नल्लवाना पेश करने
की दिशागत डी आई। अतः पत्रावली
वाले नल्लवी डिग्रेड 20/4/22 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर

20/4/22

आज यह पत्रावली पेश हुई। वादी एवं
वादी वकील अनुपास्थित। प्रतिवादी एवं
प्रतिवादी वकील अनुपास्थित। न्यायालय
में बार-बार आवाज लगवाने के
बावजूद भी सायं 6:00 बजे तक वादी
एवं वादी वकील अनुपास्थित नहीं।
अतः प्रकरण अइम हाजरी एवं
अइम पेंखी में खारिज किया जा रहा
है। पत्रावली अइम पेंखी में फौजल
शुमार होकर रजिस्टर में कम की
जावे। बाकू प्रती दारखिल इफ्तुर हो।

[Handwritten signature]

SDP